

प्रेषक,

अब्दुल समद,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
2. छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
5. डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2021

विषय- प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-304/रा0उ0शि0प0/02/2021, दिनांक 22.07.2021 एवं पत्र संख्या-345/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 13.08.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलग्न विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू0 23,65,300/- (रूपये तेईस लाख पैंसठ हजार तीन सौ मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं शासन को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
 5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएंगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
 6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
 7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
 9. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।
 10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
 11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
 12. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोड़कर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
 13. प्रश्नगत शोध हेतु जो भी उपकरण क्रय किये जाएंगे, शोध/परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभाग को हस्तगत कर दिये जाएंगे, जिसका उपयोग विभाग द्वारा आगामी शोध परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।
- 2- इस निमित्त होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800 अन्य व्यय-13-प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,
अब्दुल समद
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय।
7. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-94/2021/2173/सत्तर-4-2021-4(28)/2021 दिनांक- 22/10/2021 का संलग्नक:-

क्र०सं०	प्रमुख शोधकर्ता/विभाग का नाम	विषय	संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि
1	2	3	4	5
1	डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या			
1.1	Prof. Shailendra Kumar (Department of Microbiology)	Microbiological and Physicochemical quality assessment of ground water sources in Ayodhya and their impact on development of drug resistance	मैन पावर	96000
			आकस्मिकता	10000
			उपभोज्य वस्तुएं	50000
			फील्ड वर्क एवं यात्रा	10000
			ओवर हेड चार्ज	18600
			योग	184600
1.2	Dr. Sindhu singh (Department of Education)	Study of development of rare and alkaline earth doped Pb free Titanates for Energy storage devices	उपकरण	200000
			आकस्मिकता	10000
			उपभोज्य वस्तुएं	35000
			फील्ड वर्क एवं यात्रा	10000
			योग	255000
2	छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर			
2.1	Dr. Dharam Singh (Department of Environmental Science)	Impact of combinatorial toxicity of tannery and sewage wastewater containing metal on Freshwater Fish, Channa punctatus, Heteroneptus fossilis and signalling of deterioration of water quality in River Ganga at Kanpur Region	उपकरण	200000
			आकस्मिकता	15000
			उपभोज्य वस्तुएं	45000
			फील्ड वर्क एवं यात्रा	2500
			ओवर हेड चार्ज	10000
			योग	272500
2.2	Dr. Vinod Kumar Verma (Department of Life Science)	Assessment of Hydrobiological parameters of river Ganga and haematology of fishes in Kanpur Region	माईक्रोस्कोप विथ कैमरा	100000
			वर्क असिस्टेंट	96000
			उपभोज्य वस्तुएं	50000
			आकस्मिकता	10000
			फील्ड वर्क	10000
			योग	266000
2.3	Dr. Rashi Agarwal (Department of Information Technology)	Use of Artificial Intelligence for Lung Cancer Diagnosis Using X-Ray and CT scan	मैन पावर	60000
			आकस्मिकता	6000
			उपभोज्य वस्तुएं	200000
			ओवर हेड चार्ज	27200
			योग	293200
3	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ			
3.1	Dr. Punit Kumar (Department of Physics)	Dynamics of Charge Carriers in Semiconductor Quantum Plasma for Ultrasmall (Nano) Semiconductor Devices	उपकरण	90000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			ओवर हेड चार्ज	23000
			योग	208000

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी			
4.1	Dr. Lavkush Dwivedi (Department of Innovation Centre)	Development of a predictive in-silico tool for online self Health Risks Assessment Management	मैन पावर	100000
			आकस्मिकता	20000
			यात्रा/फील्ड वर्क	5000
			ओवर हेड चार्ज	16000
			योग	141000
4.2	Prof. Avnish Kumar (Department of Science-mathmetics)	Optimization Techniques for Dynamically Allocation of Tasks	उपकरण	250000
			आकस्मिक व्यय	12000
			उपभोज्य वस्तुएं	5000
			ओवर हेड चार्ज	28000
			योग	295000
5	डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ			
5.1	Dr. Sanjay Singh (Department of Humanities and Social Science)	Understanding the Impact Assessment of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006: A field Study of the Forest area of Uttar Pradesh	मैन पावर	150000
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000
			स्टेशनरी/प्रिंटिंग/मिस्लेनियस	15000
			योग	180000
6	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली			
6.1	Dr. Vinay Rishiwal (Department of Computer Science)	IoT Enabled early Fire Prevention and Detection in Disaster Management	उपकरण	200000
			आकस्मिकता	30000
			यात्रा एवं प्रशिक्षण	20000
			उपभोज्य वस्तुएं	20000
			योग	270000
कुल योग			2365300	

(रूपये तेईस लाख पैंसठ हजार तीन सौ मात्र)

सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

-
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।